संख्या-01/2025/49/52-40-2025-52-4002/2/2021

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सचिव/कार्यपालक अधिकारी,

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति,

लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2025**

विषय- हज-2024 में खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-4481/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 30.01.2025का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में हज-2024 में हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले कुल व्यय रू0 3,40,17,185/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,70,08,593/- को बी0एम0-09 के माध्यम से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुये भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबी पाठशालाओं को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद प्राविधानित धनराशि रू0 109670.80 लाख के सापेक्ष सम्भावित बचतों में से हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय रू0 170.09/- **(रू0 एक करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र)** हेतु अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-सहायता अनुदानसामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 170.09/- **(रू0 एक करोड़ सत्तर लाख नौ हजार मात्र)** को पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखते हुये निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) हज यात्रियों की सेवा हेतु खादिमुल हुज्जाज (हाजी सेवक) को सऊदी अरब भेजे जाने हेतु भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(4) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2024 की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(7) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अनतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-03-अरबी पाठशालाओं को अनुदान-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचत धनराशि को अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-707, दिनांक 21.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-49(1)/52-4-2025-52-4002/2/2021 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग, लखनऊ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3

7- अनुभाग अधिकारी, अल्पयंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in